



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4213]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 30, 2019/पौष 9, 1941

No. 4213]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 30, 2019/PAUSHA 9, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2019

का.आ. 4715(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (१) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.२८५१ (अ), तारीख ७ अगस्त २०१९, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले में राष्ट्रीय महामार्ग संख्या ३५३ के कि.मी.०/००० से कि.मी.४३/००० (अमरावती नांदगावपेठ मोर्शी) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा, चार/दो लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "१७.९.२०१९ और १८.९.२०१९" को "जनमाध्यम" और "अमरावती मंडल" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग अमरावती नांदगावपेठ मोर्शी संख्या ३५३ के कि.मी. ०/००० से कि.मी. ४३/०० के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: अमरावती			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: मोर्शी				
	गांव का नाम: संभापुर				
1	18	निजी	एग्रीकल्चर	0.03	अमोल अजयकुमार श्रीवास्तव (१८)
2	19/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.09	ममता सुरेशचंद्र अग्रवाल (विनीता घनराज पाटणकर) (१९/१)
3	19/1A	निजी	एग्रीकल्चर	0.13	प्रविण पांडूरंग जबंजाळ, आशिष पांडूरंग जबंजाळ (१९/१ अ)
4	19/2	निजी	एग्रीकल्चर	0.09	संदिप निळकंठ ठाकरे, सुनंदा निळकंठ ठाकरे, विनय निळकंठ ठाकरे, मनिषा नरेंद्र कोकाटे, पदमा रघुनाथ कोहळे, अरुणा वामन लोहे (१९/२)
5	7/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.21	सुधाकर बाजीराव गायकी (७/१)
6	7/1 A	निजी	एग्रीकल्चर	0.12	लीलाधर नाना गायकी (७/१/अ)
7	8	निजी	एग्रीकल्चर	0.05	पुंडलिक मोतीराम मोहन, संपत मोतीराम मोहन (८)
			कुल	0.72	

[फा. सं. RW/NH-12014/107/2016-MAH-P6/3D2]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th December, 2019

S.O. 4715(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O.No. 2851(E), Dated 07 August 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction (widening/four/two laning with paved shoulder etc), management and operation of National Highway No.353K on the stretch of land from Km 0/000 to Km 43/000 (Amravati- Nandgaopeth-Morshi) in the district of AMRAVATI in the state of MAHARASHTRA

And whereas the substance of the said notification has been published in “Janmadhyam” and “Amravati Mandal” on dated 17.9.2019 & 18.9.2019 ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land for widening/four/two laning etc.from Amravati-Nandgaonpeth-Morshi section (km 0/000 to 43/000) of NH 353 K in the district of AMRAVATI in the state of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA			District: AMRAVATI		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Morshi				
	Village: Sambhapur				
1	18	Private	Agriculture	0.03	Amol Ajaykumar Shrivastav 18
2	19/1	Private	Agriculture	0.09	Mamta Sureshchandra Agrawal (Vinita Ghanraj Patankar) 19/1
3	19/1A	Private	Agriculture	0.13	Pravin Pandurang Jawanjal,Ashish Pandurang Jawanjal 19/1A
4	19/2	Private	Agriculture	0.09	Sandeep Nilkanth Thakre ,Sunanda Nilkanth Thakre ,Vinay Nilkanth Thakre,Manisha Narendra Kokate , Padma Raghunath Kohle ,Aruna Waman Lohe 19/2

5	7/1	Private	Agriculture	0.21	Sudhakar Bajirao Gayki 7/1
6	7/1 A	Private	Agriculture	0.12	Liladhar Nana Gayki 7/1/A
7	8	Private	Agriculture	0.05	Pundalik Motiram Mohan ,Sanpat Motiram Mohan 8
			TOTAL	0.72	

[F. No. RW/NH-12014/107/2016-MAH-P6/3D2]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.